न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 217/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/414**
दायर दिनांक :– 31.07.2025 **निर्णय दिनांक :– 07.01.2026**

1. प्रकाश पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. भागीरथ पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. किलाणाराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हरचन्दराम पुत्र जोधाराम फौत के कायम मुकाम
1/1 बंशीलाल पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. बाप जिला फलोदी
1/2 सुजानाराम पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. बाप जिला फलोदी
1/3 भंवरलाल पुत्र हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. बाप जिला फलोदी
1/4 मीरा पत्नी हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. बाप जिला फलोदी
2. धोंकलराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. बाप जिला फलोदी
3. भजनाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. बाप जिला फलोदी
4. दीपक कुमार पुत्र सोहनराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. बाप जिला फलोदी
5. रामेश्वर पुत्र सोहनराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. बाप जिला फलोदी
6. भंवरी देवी पत्नी सोहनराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. बाप जिला फलोदी
7. केवलराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तहसील व जिला फलोदी
8. बाबूराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तहसील व जिला फलोदी
9. जीवनी पत्नी बिड़दाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तहसील व जिला फलोदी
10. भंवरलाल पुत्र बिड़दाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तहसील व जिला फलोदी
11. मुल्तानाराम पुत्र बिड़दाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तहसील व जिला फलोदी
12. रामप्यारी पत्नी बिड़दाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तहसील व जिला फलोदी
13. पपू पत्नी सरताज जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तहसील व जिला फलोदी
14. बगड़ावतराम पुत्र चौखाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. व जिला फलोदी
15. मोहनराम पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. व जिला फलोदी
16. शंकरलाल पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तहसील व जिला फलोदी
17. हरीराम पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तह. व जिला फलोदी
18. शांति पत्नी हजारीराम जाति विश्नोई निवासी हनुमान नगर तहसील व जिला फलोदी
19. बगड़ावतराम पुत्र मोमराज जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
20. सुरताराम पुत्र गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
21. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री विजय तंवर अधि. अप्रार्थी सं. 1 ता 6
3 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 7, 8, 10, 11, 13, 17 ता 19

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि ग्राम कानासर तहसील फलोदी में वक्त भू प्रबन्ध सम्वत 2015 में खेत खसरा नम्बर 1363 रकबा 652—08 बीघा काश्त भूमि अन्य खसरा के साथ खातेदार जीवन वल्द लखु 1/3 हिस्सा, नवला वल्द खेता, मेहराज, जुगता वल्द बरू 1/3 हिस्सा, गणपत, सुरता, मालीया पिसरान रूघनाथ कौम विश्नोई साकिन देह के नाम पैमाईश होकर दर्ज अभिलेख की गई खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 से 2031 ग्राम कानासर व चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। खसरा नम्बर 1363 की भूमि में से खसरा नम्बर 1363/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम व खसरा नम्बर 1363/1 रकबा 49.0478 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 20 के नाम चालू जमाबंदी सम्वत 2076—2079 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। वादग्रस्त काश्त भूमि खसरा नम्बर 1363/2 व 1363/1 की भूमि प्रार्थीगण अथवा उनके पिता जीवन पुत्र लखु 1/3 हिस्सा एवं गणपत, सुरता, मालीया पिसरान रूगनाथ 1/3 हिस्सा के सहाकश्तकारान द्वारा किसी को भी कभी विक्रय पत्र लिखाकर उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीबद्व नहीं करवाया और न कोई विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त कर भूमि का वास्तविक व भौतिक कब्जा सुपुर्द किया। प्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के जीवनकाल से खसरा नम्बर 1363/1 व 1362/2 के 1/2 हिस्सा पर बिना किसी रूकावट के आज तक निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है दिनांक 25.07.2025 को पुलिस थाना बाप के सहायक उप निरीक्षक मय जाब्ता प्रार्थीगण की आवासीय ढाणी नेवा आये और बताया कि अप्रार्थीगण ने पुलिस थाना में रिपोर्ट पेश की है कि खसरा नम्बर 1363/1 की भूमि में प्रार्थीगण हमें काश्त करने से रोकते है उन्हे पाबन्द करवाया जावे प्रार्थीगण ने सहायक उप निरीक्षक को बताया कि खसरा नम्बर 1363/1 के खातेदारों का आज तक कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है मूल खातेदारान और उनके वारिसान का ही बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण ने भी सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बाप को रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त जमीन पर हमारा ही कब्जा है, किसी अन्य का कब्जा काश्त नहीं है खसरा नम्बर 1363/2 व 1363/1 के खातेदार गलत तरीके से हमें पाबंद करवाकर जबरन बेदखल कर कब्जा करना चाहते है दिनांक 26.07.2025 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 20 वाहन में सवार होकर वादग्रस्त भूमि पर आये और प्रार्थीगण को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि हमारी बहुत समय पहले क्रयशुदा भूमि है कब्जा छोड़ दो, अन्यथा जबरन हमलावर होकर मारपीट कर बेदखल कर कब्जा करेगें। प्रार्थीगण व उनके मूल सहहिस्सेदारान का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक मंसूबों में सफल हो जायेगे तो प्रार्थीगण के जायज खातेदारी हकूको पर कुठाराघात होगा, और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी

सहायक कलेक्टर

जिसका मूल्याकंन रूप्यों में नहीं आंका जा सकेगा प्रार्थीगण दावेदार है उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त अविभाजित भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7, 8, 10, 11, 13, 17 ता 19 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की और अधिवक्ता श्री विजय तंवर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि ग्राम कानासर का खसरा नम्बर 1363/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज रेकर्ड चली आ रही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 का जमाबंदी में वर्णित हिस्सा अनुसार दिनांक 24.12.1969 को खरीद के दिन से ही स्वतंत्र कब्जा व काश्त चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी व गिरदावरी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदार प्रार्थीगण के पिता जीवन पुत्र लखु 1/3 हिस्सा एवं गणपत, सुरता, मालीया पि. रूघनाथ 1/3 हिस्सा के द्वारा जवाबदाता को जरिये पंजीबद्व विकय पत्र के दिनांक 24.12.1969 को बेचान की थी तथा उसी दिन बेचान का प्रतिफल विकेतागण द्वारा प्राप्त कर जवाबदाता को खरीद अनुसार मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था जो आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। उसी वक्त जवाबदाता के नाम से खरीद अनुसार नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो चुका था। जवाबदाता का उक्त भूमि खरीदसुदा भूमि खरीद के दिन से लेकर आज दिन तक लगातार विकय पत्र में दर्शाये पड़ोस अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। विकेतागण जीवन पुत्र लखु एवं गणपत, सुरता, मालीया पि. रूगनाथ के नाम कभी भी खसरा नम्बर 1373 में भूमि दर्ज नहीं रही और न ही खसरा नम्बर 1373 का रकबा विकय पत्र में अंकित रकबा से मेल खाता है और न ही विकय पत्र में दर्शाये गये पड़ोसी भी खसरा नम्बर 1373 से मेल खाते है विकय पत्र में टंकित करते समय खसरा नम्बर 1363 के स्थान पर खसरा नम्बर 1373 टंकित हो गया है। जो मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है। विकेतागण जीवनराम वगैरा ने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक उक्त सभी इन्द्राजात को स्वीकार किया है। जीवनराम के फौत होने के बाद में जीवनराम के हिस्से की भूमि के इन्द्राजात को प्रार्थीगण के द्वारा स्वीकार करते हुए जीवनराम का विरासत नामान्तरकरण भी दर्ज करवाया है। जवाबदाता के पक्ष में पंजीबद्व विकय पत्र में हुई टकंन त्रुटि मात्र से जवाबदाता के वादग्रस्त भूमि में निहित खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। जवाबदाता के पक्ष में पंजीबद्व विकय पत्र कतई फर्जी एंव कूटरचित नहीं है और न ही उक्त पंजीबद्व विकय पत्र शून्य ही है और न ही उक्त विकय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण भी काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7, 8, 10, 11, 13, 17 ता 19 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदार प्रार्थीगण के पिता जीवन पुत्र लखु 1/3 हिस्सा एवं गणपत, सुरता, मालीया पि. रूघनाथ 1/3 हिस्सा के द्वारा जवाबदाता को जरिये पंजीबद्व विकय पत्र के दिनांक 24.12.1969 को बेचान की थी तथा उसी दिन बेचान का प्रतिफल विक्रेतागण द्वारा प्राप्त कर जवाबदाता को खरीद अनुसार मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था जो आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। उसी वक्त जवाबदाता के नाम से खरीद अनुसार नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो चुका था। जवाबदाता का उक्त भूमि खरीदसुदा भूमि खरीद के दिन से लेकर आज दिन तक लगातार विकय पत्र में दर्शाये पड़ोस अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा तारबन्दी कर घेर रखा है तथा जवाबदाता द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर नलकूप खुदवा रखा है। जवाबदाता को बेचान पचास वर्ष पूर्व में किया गया था जिसकी सम्पूर्ण जानकारी जीवनराम वगैरा को अपने जीवनकाल तक थी और उनके फौत होने के बाद उक्त बेचान संबंधित जानकारी प्रार्थीगण को भलीभांति थी। उक्त भूमि मूल खसरा नम्बर 1363 में से जवाबदाता द्वारा जरिये पंजीबद्व विकय पत्र तत्कालीन खातेदार प्रार्थीगण के पिता जीवन पुत्र लखु 1/3 एवं गणपत, सुरता, मालीया पि. रूगनाथ 1/3 हिस्सा बेचान की गई भूमि में प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं रहता है। उक्त विकय पत्र में दर्शाया गया कि बेचान की गई भूमि के उत्तर में किशनाराम पुत्र हरचन्दराम का खेत है दक्षिण में प्रहलादराम पुत्र अमलखराम का खेत है, पश्चिम में मेराज पुत्र जुगताराम का खेत है। विक्रेतागण जीवन पुत्र लखु एवं गणपत, सुरता, मालीया पि. रूगनाथ के नाम कभी भी खसरा नम्बर 1373 में भूमि दर्ज नहीं रही और न ही खसरा नम्बर 1373 का रकबा विकय पत्र में अंकित रकबा से मेल खाता है और न ही विकय पत्र में दर्शाये गये पड़ोसी भी खसरा नम्बर 1373 से मेल खाते है विकय पत्र में टंकित करते समय खसरा नम्बर 1363 के स्थान पर खसरा नम्बर 1373 टंकित हो गया है। जो मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है। विक्रेतागण जीवनराम वगैरा ने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक उक्त सभी इन्द्राजात को स्वीकार किया है। जीवनराम के फौत होने के बाद में जीवनराम के हिस्से की भूमि के इन्द्राजात को प्रार्थीगण के द्वारा स्वीकार करते हुए जीवनराम का विरासत नामान्तरकरण भी दर्ज करवाया है। जवाबदाता के पक्ष में पंजीबद्व विकय पत्र में हुई टकंन त्रुटि मात्र से जवाबदाता के वादग्रस्त भूमि में निहित खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। जवाबदाता के पक्ष में पंजीबद्व विकय पत्र कतई फर्जी एंव कूटरचित नहीं है और न ही उक्त पंजीबद्व विकय पत्र शून्य ही है और न ही उक्त विकय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण भी काबिल खारिज के है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। जब उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त ही नहीं है तो जवाबदाता द्वारा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है उक्त भूमि को लेकर किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात, अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को नहीं हो रही है। उक्त भूमि को लेकर प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार जवाबदाता के विरूद्व किसी भी

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलौदी)

प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को मय खर्चा हर्जा के खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7, 8, 10, 11, 13, 17 ता 19 द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है–

1. **रविरा अंक संख्या 123 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2021 अपील डिकी/टी.ए./6408/2011/चितौड़गढ भूरी बाई बनाम शंभूलाल (W.R.) पैज संख्या 40–47 |**

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से पेश उक्त दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1363/1 व 1363/2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार जीवन पुत्र लखु 1/3 हिस्सा एवं गणपत, सुरता, मालीया पि. रूगनाथ 1/3 हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण ने जरिये पंजिबद्व विकय पत्र के दिनांक 24.12.1969 के कय की थी जो पंजीबद्व विकय पत्र चित्र प्रति से साबित है। उक्त विकय पत्र में खसरा नम्बर 1363 के स्थान पर खसरा नम्बर 1373 अंकित किया गया है। विकय पत्र में जो रकबा व पड़ोस दर्शाये गये है वह खसरा नम्बर 1363 के अनुसार है, जबकि विकय पत्र में दर्शाये खसरा नम्बर 1373 का रकबा खतोनी बन्दोबस्त के खाता संख्या 102 में दर्ज प्रविष्टी से मिलान नहीं होता है। इस से यह स्पष्ट होता है कि मात्र लिपिकिय गलती से सर्वे नम्बर गलत विकय पत्र में दर्ज किये गये है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है कि **"जब सर्वे नम्बर विकय पत्र में गलत दर्ज हो तो ऐसे में पड़ौस व हस्तान्तरण की जाने वाली भूमि का रकबा को आधार मानकर निर्णय किया जाना उचित है"** प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादीगण के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति सिद्व नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, पंजीबद्व विक्रय पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार जीवन पुत्र लखु 1/3 हिस्सा एवं गणपत, सुरता, मालीया पि. रूगनाथ 1/3 हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण ने पंजिबद्व विक्रय पत्र के दिनांक 24.12.1969 के क्रय की थी जो पंजीबद्व विक्रय पत्र चित्र प्रति से साबित है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 20 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपभोग उपयोग, हस्तान्तरण इत्यादि सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है क्यो कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को कारित नहीं होती है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 31.07.2025 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)